कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग खण्ड बांसवाडा

क्रमांक :– / 2022–23 / 859 दिनांक :– 14-12-2022

निमित्त,
उप वन संरक्षक,
बांसवाडा

विषयः– Diversion of 4.99 ha. of forest land in favour of Executive Engineer NH Public Work Department, Udaipur for widening/strengthening/ upgradation to two-lane with paved shoulder from existing chainage Km. 250.600 to 266.843 (Wajwana-Banswara) Section of NH-927A in the state of Rajasthan. **Reg:- Stage II Clearance (विधिवत् स्वीकृति जारी करने बाबद् ।)**

प्रसंग :– परिवेश पोर्टल से प्राप्त श्रीमान् उपवन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) के पत्र क्रमांक 8B/Raj/06/18/2019/FC Dated 21.10.2022 के क्रम में।

संदर्भः– शासन सचिव (वन), राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक P.1(35) Forest/2019 दिनांक 22.09.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषय, प्रसंग एवं संदर्भ में निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से माननीय उपवन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) ने अवगत कराया है कि संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रस्ताव पर उनके कार्यालय के सैद्धान्तिक अनुमोदन दिनांक 03.09.2019 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 के तहद् धारा–2 के तहद् स्वीकृति मांगी गई थी। आगे अवगत कराया की अनुपालना प्रतिवेदन के परीक्षण करने पर यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी / दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। साथ ही, निम्नलिखित दो बिन्दुओं की आवश्यक जानकारी उनके कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने निर्दिष्ट किया गया है।

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2021–22 / 1073 दिनांक 18.02.2022 के माध्यम से विषयांकित भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के द्वारा 4.99 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो (1–24) की बिन्दुवार विस्तृत पालना प्रतिवेदन श्रीमान् को प्रेषित कि गई है। अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रत्येक बिन्दु में शर्त का उल्लंघन नहीं होना स्पष्टतः वर्णित किया गया है। उक्त आधार पर किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र श्रीमान् से जारी होना अपेक्षित है।
2. अधिरोपित शर्त संख्या 2 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला कलक्टर बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 2 ( ) राज / 2019 / 1009 दिनांक 16.09.2019 से मोजा पाटन तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.) के खसरा संख्या 832, 832 / 3003 में रकबा 4.99 हेक्टर गैर वनभूमि वनविभाग, बांसवाडा को आवन्टित की जा चुकी है। आदेश की पालना में जरिए नामान्तरणकरण संख्या 783 दिनांक 17.09.2019 को उक्त आवान्टित भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज की जा चुकी है। इसी तिथि को आवन्टित भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर सुपुर्द कर दी गई है।

उक्त आवन्टित भूमि को नियमानुसार RF/PF अधिसूचित करवाने की कार्यवाही श्रीमान् के स्तर से अपेक्षित है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही कर जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अद्यतन करवाने का श्रम करें।

भवदीय

(विरेन्द्र कुमार शाह)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग खण्ड, बांसवाडा
eepwdnhbanswara@gmail.com